राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़

योजना भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर
(टेलीफैक्स: 0771– 2511223) Email- ms.cgspc@gov.in

राज्य योजना आयोग द्वारा नवाचारों के अध्ययन व प्रोत्साहन हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु दिशा निर्देश

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक–1674/सस/रायोआ/2020, दिनांक 08–12–2020 द्वारा नवाचारों के अध्ययन व प्रोत्साहन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये थे तथा ज्ञापन क्रमांक–1077/रायोआ/2021, दिनांक 18–06–2021 द्वारा दिशा–निर्देश से संबंधित अतिरिक्त जानकारी जारी की गई थी। उक्त दिशा–निर्देशों में कतिपय बिन्दुओं को और स्पष्ट एवं सरलीकृत करने के उद्देश्य से पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों को निरस्त करते हुये निम्नानुसार संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. **प्रस्तावनाः–** छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–10/2014/23 दिनांक 7/1/2020 द्वारा राज्य योजना आयोग के लिए निर्धारित दायित्वों में से एक "नवाचारों का अध्ययन कर प्रोत्साहित करने हेतु शासन को सुझाव देना" है। इस दायित्व के निर्वहन के लिए आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि, प्रदेश में नवाचार का ईकोसिस्टम तैयार करने में सहायता करने एवं **जमीनी नवाचारों (Grassroot Innovations)** , जिनकी पहचान एवं उपयोगिता समाज हित में है तथा उद्यमिता विकास के द्वारा वाणिज्यक पैमाने पर बढ़ाये जाने की संभावना हो, के चयन एवं उपयोगी नवाचार के प्रस्तावों को स्वीकृत करने हेतु ये दिशा–निर्देश जारी किये जा रहें हैं।

2 **पात्रता :–**

2.1 राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा उपरोक्त नवाचार प्रस्तावों हेतु आर्थिक सहायता अधोलिखित इनोवेटर्स को प्रदान की जा सकेगी।

(i) राज्य का कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा उत्पाद/ सेवा/प्रक्रिया संबंधी नवाचार किया जा रहा हो तथा जिन्हें आगे कार्य हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो।

(ii) राज्य एवं केन्द्र के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकि संस्थान, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षण संकाय और शोध विद्वान/राज्य के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्था व संगठन/राज्य शासन के

विभाग,निगम,बोर्ड आदि के अधिकारी/राज्य के पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट/ राज्य के औद्योगिक संस्थान, जिनके द्वारा उत्पाद/सेवा/प्रक्रिया संबंधी नवाचार किया जा रहा हो तथा जिन्हें आगे कार्य हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो।

3. **इनोवेटर्स से आवेदनों का आमंत्रणः**– आर्थिक सहायता हेतु इनोवेटर्स से आवेदनों का आमंत्रण, विज्ञापन द्वारा अथवा राज्य योजना आयोग की 'वेबसाईट' (http://spc.cg.gov.in/) पर अधिसूचना जारी कर, निम्न दो रीतियों से किया जावेगा :–

(i) इनोवेटर से सीधे योजना आयोग के पास,

(ii) विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थानों, उद्योगों आदि के माध्यम से,

इस हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन 'ऑफलाईन' अथवा 'ऑनलाईन' माध्यम से आमंत्रित किए जायेंगे। आवेदन का प्रारूप अनुलग्न–I में उपलब्ध है।

4. **आवेदक इनोवेटर की सहायता के लिए संस्थान की पहचानः**– प्रस्तावित नवाचार के विकास में मार्गदर्शन (मेंटरशिप) एवं प्रोटोटाइप विकास हेतु संसाधन उपलब्ध हो सके, इसके लिये आवेदक इनोवेटर को उपयुक्त शैक्षणिक/तकनीकी संस्थान से सम्बद्ध होना आवश्यक होगा। आयोग को सीधे आवेदन प्रस्तुत करने वाले इनोवेटर्स के लिये इनोवेटर्स की सहमति से संस्थान का चयन आयोग द्वारा किया जा सकेगा। प्रस्ताव की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त शैक्षणिक/तकनीकी संस्थान का प्रस्ताव इनोवेटर द्वारा भी किया जा सकेगा किन्तु इसमें चयनित संस्थान एवं राज्य योजना आयोग की सहमति आवश्यक होगी। आवेदक इनोवेटर द्वारा मेंटर संस्थान से प्राप्त सहमति का विवरण अनुलग्नक–I में दिए गए आवेदन प्रारूप की कंडिका–8(ब) अनुसार देना होगा। चयनित संस्थान को आयोग के साथ अनुलग्नक–II में दिये गये प्रारूप में एम.ओ.यू. निष्पादित करना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर नवाचार प्रस्ताव के स्वीकृति की दशा में आयोग द्वारा संस्थान को प्रस्तावित नवाचार के लिये स्वीकृत राशि जारी की जायेगी।

5. **अनुदान की सीमाः**– राज्य योजना आयोग द्वारा एक प्रकरण में अधिकतम राशि रूपयें 5 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा। विशिष्ट एवं आपवादिक नवाचार के प्रकरणों में पर्याप्त कारण होने पर इससे अधिक की राशि भी स्वीकृत की जा सकेगी किन्तु, यह राशि किसी भी दशा में रूपयें 10 लाख से अधिक की नहीं होगी।

6. **कार्य अवधिः**– नवाचार आवेदन में हितग्राही अथवा लाभार्थी के उपयोग के दृष्टिकोण से परिकल्पित प्रदेय (Envisaged deliverables) के स्टेज तक प्रस्तावित कार्य अधिकतम 01 वर्ष की समय–सीमा में पूर्ण करना होगा। कार्य अवधि की गणना स्वीकृत अनुदान के प्रथम किश्त जारी करने के दिनांक से की जायेगी। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर समय

19/7/2021

सीमा में वृद्धि हेतु संबंधित संस्थान द्वारा आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

7. **चयनित संस्थान के साथ समझौता ज्ञापनः–** राज्य योजना आयोग द्वारा नवाचार प्रस्ताव के मेन्टरिंग हेतु उपरोक्त कंडिका–4 अनुसार चयनित संस्थान के साथ 'एम.ओ.यू'. अनुलग्नक–II के प्रारूप अनुसार किया जाएगा।

8. **आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया :–**

8.1 निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जांच राज्य योजना आयोग में इस प्रयोजन हेतु गठित प्राथमिक स्क्रूटनी समिति द्वारा की जाएगी। प्राथमिक स्क्रूटनी समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

1. वरिष्ठ संयुक्त संचालक, राज्य योजना आयोग	–	अध्यक्ष
2. संयुक्त संचालक, राज्य योजना आयोग	–	सदस्य
3. संयुक्त संचालक (वित्त), राज्य योजना आयोग	–	सदस्य
4. शोध अधिकारी, राज्य योजना आयोग	–	संयोजक

8.2 उक्त प्राथमिक स्क्रूटनी समिति आयोग में प्राप्त नवाचार के प्रस्तावों का परीक्षण करेगी। आवश्यक होने पर समिति जांच हेतु विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगी। समिति प्रस्तावों पर आवश्यक होने पर प्रस्तुतीकरण हेतु आवेदक को आमंत्रित कर सकेगी। प्राथमिक स्क्रूटनी समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा –

i. क्या प्राप्त प्रस्ताव नवाचार की श्रेणी में रखा जा सकता है ?
ii. क्या प्रस्तावित नवाचार के वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के लिये किसी प्रौद्योगिकी संस्थान/विशेषज्ञ (मेंटर) की आवश्यकता होगी ?
iii. परामर्शदाता/मेंटर की आवश्यकता, स्थान और संस्थान के संबंध में समिति द्वारा अभिमत दिया जायेगा।
iv. नवाचार प्रस्ताव में परिकल्पित प्रदेय (Envisaged deliverables) की स्पष्टता के संबंध में समिति द्वारा अभिमत दिया जायेगा।
v. स्केलिंग–अप की संभावनाएं, यदि कोई हो के संबंध में अभिमत दिया जायेगा।
vi. अन्य सुसंगत बिन्दु जिसे समिति जांच हेतु आवश्यक समझती हो।

8.3 प्राप्त आवेदनों को, प्राथमिक स्कूटनी समिति के परीक्षण उपरांत स्वीकृति हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने एवं आवश्यक अभिलेख उपलब्ध हो जाने के बाद स्वीकृति योग्य प्रस्ताव, समिति की अनुशंसा के साथ अनुमोदन समिति

19/7/2022

(Sanctioning Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्राथमिक स्कूटनी समिति द्वारा अस्वीकृति योग्य पाये जाने वाले आवेदनों की सूची भी अस्वीकृति के कारणों के संक्षिप्त उल्लेख के साथ अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

1.	माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग	–	अध्यक्ष
2.	माननीय सदस्य , राज्य योजना आयोग	–	सदस्य
3.	सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग	–	सदस्य
4.	वरिष्ठ वैज्ञानिक,सीजीकास्ट	–	सदस्य
5.	संयुक्त संचालक, रा.यो.आ.	–	सदस्य
6.	शोध अधिकारी, राज्य योजना आयोग	–	संयोजक

8.4 अनुमोदन समिति प्राथमिक स्क्रूटनी समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु विचार करेगी। समिति प्रस्तावों पर अभिमत हेतु विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी। नवाचार प्रस्तावों के अनुमोदन, स्वीकृति एवं राशि जारी करने के संबंध में अनुमोदन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

8.5 अनुमोदन समिति द्वारा लिए गए निर्णय उपरांत, योजनांतर्गत निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन तथा नवाचार के कियान्वयन हेतु चयनित संस्थान (कंडिका 4 में प्रावधान अनुसार) के साथ एम.ओ.यू. (अनुलग्नक–II) एवं इनोवेटर से नियत प्रारूप में शपथ प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–III) एवं आयोग द्वारा स्वीकृति की शर्तो (अनुलग्नक–IV) की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्ति के उपरांत सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग द्वारा नवाचार प्रस्ताव का अनुमोदन सह स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

9. अनुदान की किस्तें व जारी करने की प्रक्रियाः–

(i) स्वीकृत नवाचार के लिये अनुदान आयोग द्वारा तीन किस्तों में (40:40:20 के अनुपात में) चयनित संस्था को जारी किया जाएगा। प्रथम किस्त की राशि नवाचार की स्वीकृति के तत्काल पश्चात जारी की जाएगी जो कुल कार्य अवधि के लिए स्वीकृत अनुदान का 40 प्रतिशत होगी।

(ii) प्रथम किस्त की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय का विवरण, किये गये नवाचार की प्रगति संबंधी अंतरिम रिपोर्ट एवं राशि विमुक्त करने के

संबंध में चयनित संस्थान की स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त होने पर आयोग द्वारा संबंधित अभिलेखों के परीक्षण एवं संतोषप्रद प्रगति पाये जाने पर द्वितीय किस्त की राशि जारी की जाएगी जो कुल कार्य अवधि के लिए स्वीकृत अनुदान का 40 प्रतिशत होगी।

(iii) नवाचार के पूर्ण होने पर इनोवेटर तथा चयनित संस्थान द्वारा अंतिम रिपोर्ट तैयार कर आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त रिपोर्ट में नवाचार से संबंधित पूर्ण विवरण, फोटो, ड्राइंग आदि सहित नवाचार के आवेदन में प्रस्तावित मूल्यवर्धन/प्रोटोटाइप संबंधित परिकल्पित प्रदेय (Envisaged deliverables) की सफलता प्राप्त करने की सम्पूर्ण स्थिति एवं इससे स्टेकहोल्डर्स/हितग्राहियों को पहुंचने वाले लाभ तथा इसके वाणिज्यिक/प्रक्रिया उन्नयन संभावनाओं का विवरण सम्मिलित होगा। कार्यविधि का कोई अंश इनोवेटर अथवा चयनित संस्थान अथवा दोनों के संयुक्त प्रयास से निर्मित बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित रखा जाएगा जिससे उनके हित बाधित न हों।

(iv) संस्थान द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र, खाते का विवरण, मूल बिलों/वाउचरों की प्रति तथा नवाचार संबंधित उपरोक्त पैरा 9 (iii) मे उल्लेखित अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तृतीय एवं अंतिम किस्त जारी की जाएगी जो कुल कार्य अवधि के लिए स्वीकृत अनुदान का 20 प्रतिशत होगी।

10. **नवाचार के बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में पंजीयन की संभावनाः–** योजना आयोग, चयनित नवाचार को राज्य में उपलब्ध बौद्धिक संपदा अधिकार के कार्य से जुड़ी छ.ग. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से आईपी एड्रेसल का कार्य भी करवा सकेगी। इस कार्य पर होने वाले व्यय भार का वहन, विशेष परिस्थितियों में, इनोवेटर के अनुरोध पर राज्य योजना आयोग द्वारा किया जा सकेगा।

11. **व्यय मदः–** आयोग द्वारा उक्त अनुसार नवाचारों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने पर होने वाला व्यय *''(6474) नवाचारों का बौद्धिक संपदा अधिकार'' के #10 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ, 003 परामर्श सेवाएं''* मद में किया जाएगा।

(माननीय अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग द्वारा अनुमोदित)

19/7/2022

सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग, छ.ग.

पृ. क्रमांक / 1470 / सस / रायोआ / 2022 रायपुर, दिनांक 19.07.2022

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, रायोआ., योजना भवन, नवा रायपुर।
3. निज सहायक, माननीय सदस्य, रायोआ., योजना भवन, नवा रायपुर।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मान. मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, योजना, नीति, कृषि एवं ग्रामीण विकास, योजना भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
6. विभागाध्यक्ष, छ.ग. शासन के समस्त विभाग नवा रायपुर।
7. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर।
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
10. कुलसचिव, ...
    विश्वविद्यालय / संस्थान, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, आयोग की वेबसाईट : http://spc.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

19/7/2022

सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग, छ0ग0

अनुलग्नक–I

आवेदन का प्रारूप

(तीन प्रतियों में जमा किया जाए)

1.	नवाचार का शीर्षक	
2.	प्रस्तावित नवाचार में नवीनता क्या है ? यह किस प्रकार प्रायर आर्ट (Prior Art) नहीं है ?	
3.	नवाचार का विस्तृत विवरण (नवाचार क्या है ?) (100 शब्दों में)	
4.	प्रस्तावित नवाचार के लिये कौन से कारक/परिस्थितियों से प्रेरणा मिली ? (नवाचार के आईडिया को अस्तित्व में लाने के जिम्मेदार कारकों एवं प्रक्रिया का 250 शब्दों में विवरण)	
5.	क्या नवाचार का आईडिया एक व्यक्ति विशेष अथवा सामूहिक प्रयास के कारण अस्तित्व में आया? (100 शब्दों में विवरण दें)	
6.	नवाचार का उद्देश्य (प्रस्तावित नवाचार से किस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी?) (150 शब्दों में विवरण दें)	
7.	नवाचार के आईडिया को किस प्रकार मूल्यवर्धन कर परिकल्पित प्रदेय (Envisaged deliverables) में परिणित किया जायेगा ? (प्रस्तावित रणनीति एवं पद्धति/क्रियाविधि का विवरण 300 शब्दों में दें)	
8.	(क) प्रस्तावित संस्थान का नाम जो इनोवेटर को मेन्टर संस्थान के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु सहमत है। (ब) मेन्टर संस्थान की सहमति (हां/ नहीं की स्पष्टता के साथ)। नोटः–जो आवेदक किसी मेंटर संस्थान की पहचान नहीं कर सके है वे इस पंक्ति में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करें या स्पष्ट करें कि क्या उन्हें संस्थान की पहचान करने में आयोग की सहायता की आवश्यकता है)।	
9.	प्रस्तावित नवाचार के विकास एवं लागू करने में किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी एवं आवश्यक संसाधन किस प्रकार जुटाए जायेंगे ? (250 शब्दों में विवरण दें)	

19/7/2022

10.	नवाचार की अवधारणा के अनुसार परिकल्पित प्रदेय (Envisaged deliverables) प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्य अवधि।	
11.	परिकल्पित प्रदेय (Envisaged deliverables) किस प्रकार लक्षित लाभार्थी या हितधारकों के लिए उपयोगी हो सकेगी।	
12.	(ए) प्रस्तावित नवाचार हेतु अनुमानित लागत (बी) राज्य योजना आयोग से उपरोक्त लागत में से अपेक्षित कुल आवश्यक अनुदान (दिशानिर्देशों में उल्लिखित ऊपरी सीमा के अधीन) (ग) यदि अधिक राशि आवश्यक हो तो उसका प्रबंध कहाँ से किया जाएगा ?	
13.	नवाचार का क्या प्रभाव होगा? (उत्पाद, प्रक्रिया या सामाजिक प्रभाव के संबंध में)	

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

....

....

पत्राचार हेतु पूर्ण पताः– ....

....

मोबाईल नं. ....

ई–मेल आईडी ....

दिनांकः ....

स्थान : ....

अनुलग्नक – II

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

Chhattisgarh State Planning Commission, GoCG (SPC)

and

.....

DESCRIPTION OF THE PARTIES :

This Memorandum of Understanding hereinafter referred to as 'MoU' is signed on the **..... day of ....., 2022** by the following two parties :

Chhattisgarh State Planning Commission, which has been assigned the role in promoting innovation and its contribution to the development of the State, hereinafter called SPC (which expression shall unless repugnant to the content or meaning thereof, be deemed to include its successors and permitted assignees) for short and .....(Institute's Name) hereinafter referred as Institute as per provisions in para 4 of this guidelines for promotion of Innovation.

AIMS AND OBJECTIVES :

The aims and objective of this MoU is for ensuring Collaboration, infrastructure sharing for promoting and developing innovation and innovation eco-system in the State.

SCOPE :

NOW THIS MoU WITNESSES and it is hereby agreed by and between the parties as follows :-

SPC under its scheme will provide financial assistance to institute for the innovation proposal submitted by the innovator/institution. The proposal has been duly vetted for its applicability & usefulness by SPC and sanction is accorded accordingly.

PERIOD OF MOU :

This Memorandum of Understanding shall be valid for the scheduled period as approved by the SPC in this regard

19/7/2022

RESPONSIBILITIES OF SPC :

- To accept, vet & sanction the proposal for the said innovation, intimate sanction of the proposal, release the agreed fund.

RESPONSIBILITIES OF THE INSTITUTE :

- To recognize the mutual interest in the fields of innovation and dissemination of knowledge.
- To recognize the importance of SPC's role in promoting innovation and its contribution to development of the State.
- To foster collaboration in promoting innovation and facilitating the innovator.
- To harness the innovative capacity of the institute and advance research for the progress of the considered innovation proposal.
- To conduct the activities of the accepted innovation proposal_ within the time frame approved by SPC.
- Submission of progress report, interim report, final report and presentations as per guidelines / sanction order.
- Submission of utilization certificates, vouchers, expenditure details to SPC and refund of any unspent amount.
- The works related to innovation shall start within a period of one month from the date of actual release of first installment of innovation grant.
- The fund will be released to the institute by SPC as per the guideline. Institute is expected to release the fund for the innovation activity depending on the progress of the work in furtherance of innovation.

TERMS AND CONDITIONS :

- The sactioned grant shall be released by SPC in three instalment of 40%, 40% and 20%. The first installment of the grant shall comprise of 40% of the total grant approved by the SPC. The grant shall be released by SPC to the Head of the institution for onward payment to the innovator after release of the saction order for innovation.
- On receipt of interim report and recommendation of the institute, statement of expenditure and utilization certificate of 1st installment of grant in the prescribed proforma from the head of the institution, the second instalment shall be released as scheduled in the sanction order / scheme guidelines. The balance final grant of 20% shall be released after submission of the final report for the progress made in terms of envisaged deliverables by the institute, required US and SE signed and stamped by competent authority of the institute, copy of original bills and vouchers.
- The final Report from the head of the institute for the innovation will be presented before the Sanctioning Committee and their suggestions are to be incorporated, as far as possible. It is mandatory to send final report with executive summary to State Planning Commission with following documents –
- 5 Copies of the final report of innovation along with soft copy.
- A consolidated item wise detailed statement of expenditure incurred during the complete project period in the prescribed proforma duly signed and sealed by the Institution.

19/7/2021

- A consolidated Audited Utilization Certificate for the amount actually utilized towards the innovation duly signed and sealed by Chartered Accountant, as well as the head of Institute in the prescribed proforma.
- The unutilized part of the grant if any, may be refunded immediately through NEFT/RTGS/demand draft (drawn in favour of the Member Secretary, State Planning Commission).
- The financial assistance/grant shall only be utilize as per the sactioned innovation proposal.
- In the event of violation of any of the terms and conditions of this MoU, the organization/institute will have to refund the entire amount sanctioned, to the office of the SPC on demand or such part thereof along with penal interest as applicable.
- Procedure laid down for appointment of Staff, Purchase of equipment, materials by the Institution concerned must be strictly followed. Assets acquired out of the funds released shall not be disposed off without obtaining the prior approval of the office of the SPC.
- Proper record of purchase, stock entries, breakages, & losses should be maintained for verification, and submitting the verification report to the Commission. On completion of the innovation, the equipment and other articles purchased from Commission fund should be transferred to the stock books of the Institution.
- Institutes wishes to publish books / research papers / popular articles / patent / copy write etc. based on the innovation completed under the Commission's financial assistance should acknowledge the financial support received from the Commission.
- If the innovation leads to any patent filing, then such filings are to be communicated to the Commission and after due approval of the the State Planning Commission, patent of any other IP may be filed.

- The institute shall adhere to the budget plan.
- The progress of the innovation shall be monitored by the office of the SPC and the institute.
- All intellectual property generated under the SPC funded innovation proposal would be sole property of the SPC and any disclosure or licensing of the same shall be done after taking no objection certificate from the SPC.

- Other terms and conditions will be Similar to and as applicable in Institutes run by the State Government or as decided by planning commission.

SETTLEMENT OF DISPUTE :

- Any difference or dispute between the parties concerning the interpretation and / or implementation and / or application of any of the provisions of this MoU shall be settled amicably through mutual consultation or negotiations between the parties.
- The parties are entering into this MoU in good faith and intentions.
- Neither party shall be responsible for any liabilities arising out of death, injury or any legal action in respect of the field staff, innovator or any other persons associated with the operationalization of this MoU who is not otherwise a staff of either party.

19/7/2021

SIGNING OF MOU

A) Both the parties hereby agree to execute this MoU in the spirit of its Aims and Objectives.

B) There are two signed copies of this MoU, a copy of each shall be retained by both the parties hereto.

C) BY SIGNING BELOW, the parties, acting by their duly authorized officers, have caused this MoU to be executed, effective as of the day and year of signing of this MoU.

D)

SPC

Signed By

Signature

Date _____/_____/2022

.....

Signed By (.....)

Signature

Date _____/_____/2022

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Official Stamp

19/7/2022

Official Stamp

अनुलग्नक– III

आवेदक इनोवेटर द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

आवेदक इनोवेटर का नाम .....पता.....

..... नवाचार का शीर्षक .....

.....मोबाइल नं.....

1. प्रस्तावित नवाचार के संबंध में आयोग को आवेदन में प्रस्तुत समस्त तथ्य मेरी जानकारी अनुसार सत्य है।
2. अनुदान स्वीकृति की शर्ते (अनुलग्नक–IV) मुझे अर्थात इनोवेटर को स्वीकार्य हैं।
3. वर्तमान में, मेरे पास किसी अन्य संस्थान द्वारा अनुमोदित ऐसी कोई अध्ययन/ अनुसंधान/ नवाचार प्रस्ताव लंबित नहीं है, जिसके खातों का निपटान नहीं किया गया है।

इनोवेटर का नाम एवं

हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

14/7/2022

स्वीकृति की शर्तें

(इनोवेटर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)

1. नवाचार प्रस्ताव का अनुमोदन तथा जारी किये गये अनुदान इस प्रस्ताव में उल्लिखित विशिष्ट नवाचार के लिए ही होंगे तथा अनुदान को केवल इस नवाचार के लिए पर व निर्धारित समय–सीमा में व्यय किया जाना चाहिए जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है।
2. इस नवाचार के लिए किसी अन्य संगठन (सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त या निजी) से धन प्राप्त करने या उपयोग करने की अनुमति सामान्यतः नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में आयोग की अनुमति से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा।
3. स्वीकृत नवाचार की पहली किश्त जारी होने की तारीख से परियोजना प्रारंभ मानी जाएगी।
4. नवाचार के लिए संस्थान से इनोवेटर को प्राप्त होने वाली राशि का विवरण हर माह के अंतिम तिथि को आयोग को भेजनी होगी।
5. मानव संसाधन की नियुक्ति, उपकरण, सामग्री की खरीद के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करेगा।
6. खरीद, स्टॉक प्रविष्टियों, टूट–फूट और हानियों का उचित रिकॉर्ड सत्यापन हेतु रखा जाना चाहिए तथा संस्थान द्वारा सत्यापित रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नवाचार के पूरा होने पर आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान से खरीदे गए उपकरण और अन्य वस्तुओं को संस्थान की स्टॉक बुक में इंद्राज करेगा।
7. इनोवेटर आयोग की नवाचार परियोजना के अंतर्गत किए गए कार्य के आधार पर जो पुस्तकें/शोध पत्र/लोकप्रिय लेख/पेटेंट/कॉपी राइट आदि प्रकाशित करना चाहते हैं, उनमें आयोग से प्राप्त वित्तीय सहायता का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेगा।
8. यदि नवाचार से कोई पेटेंट फाइलिंग होती है, तो ऐसी फाइलिंग से आयोग को सूचित किया जाएगा।
9. उस कार्य को, जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है, किसी अन्य संस्था को कार्यान्वयन हेतु नहीं सौंपा जायेगा।
10. यदि इनोवेटर नवाचार को निष्पादित करने या पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो उसे प्राप्त अनुदान की पूरी राशि संस्थान के माध्यम से आयोग को सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित किये गये ब्याज सहित वापस करना होगा।
11. अगर आयोग को इस बात का समाधान हो जाता है कि अनुदान का उचित उपयोग नहीं किया गया है या नवाचार पर काम किसी लंबी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है या जांचकर्ताओं/संस्थानों द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं की जा रही है तब आयोग के पास किसी भी स्तर पर अनुदान को समाप्त करने और ब्याज सहित पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. यदि इनोवेटर, जिसे नवाचार के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है, किन्हीं कारणों से उस संस्थान को छोड़ देता है (जहां नवाचार का क्रियान्वयन किया जा रहा है), तो वह नवाचार पर उसके द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट की पांच प्रतियां संस्थान के माध्यम से आयोग को प्रेषित करेगा और उस तारीख तक खर्च किये गये धन और अव्ययित शेष, यदि कोई हो, संस्थान के माध्यम से आयोग को वापस करने की व्यवस्था करेगा।

15/7/2021

13. स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के पास कार्य की प्रगति के भौतिक सत्यापन का अधिकार होगा ।
14. निर्धारित प्रारूप (साफ–सुथरी टाइप) में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से लेकर सभी सूचनाएँ, वित्तीय विवरण, भौतिक प्रगति और तकनीकी डेटा रिपोर्ट, अंतिम तकनीकी रिपोर्ट संस्थान के माध्यम से आयोग को भेजी जायेगी।
15. अन्य नियम और शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार /आयोग /चयनित संस्था द्वारा नवाचार की अवधि में लागू होंगे।
16. नवाचार से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

19/7/2021

इनोवेटर के नाम सहित हस्ताक्षर

अनुलग्नक - V

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक .... दिनांक ..... द्वारा वित्त पोषित नवाचार के प्रोत्साहन हेतु प्राप्त अनुदान राशि रु..... (रुपये .....) (शब्दों में) का पूर्णतः / अंशतः* उपयोग राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था।

2. * नवाचार की शेष / अव्ययित राशि रुपये ..... को राज्य योजना आयोग को चेक / ड्राफ्ट / मनी ऑर्डर / एनईएफटी क्रमांक ..... दिनांक ..... के द्वारा वापस कर दी गई है।

* (जो संबंधित नहीं है उसे काट दें)

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं (मुहर)

19/7/2022

वैधानिक लेखा परीक्षक

(मुहर)